

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-20/2022

मोहम्मद अख्तर पिता मोहम्मद युसूफ,
एमागिर्द, बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

–

आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शनवारा मार्ग, बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

–

अनावेदक

आदेश

(दिनांक 06.01.2023 को पारित)

01. आवेदक मोहम्मद अख्तर पिता मोहम्मद युसूफ, एमागिर्द, बुरहानपुर (म.प्र.) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 15.10.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0461220 दिनांक 09.09.2020 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 21.10.2022 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00-20/2022 पर दर्ज की गई है।

प्रकरण में आवेदक ने यह मांग की थी कि उनके विद्युत कनेक्शन जिस पर उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से स्वीकृत भार 18 एच.पी. से बढ़ाकर 20 एच.पी. से अधिक उपयोग करने के कारण टैरिफ अनुसार दी गई 30 प्रतिशत की छूट जो कि 20 एच.पी. तक भार के लिए प्रावधानित है की अतिरिक्त बिलिंग की गई। समान प्रकृति के प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रचलित होने के कारण उस प्रकरण में निर्णय दिया जाना उचित नहीं है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर निर्णयानुसार अनावेदक द्वारा कार्यवाही/बिलिंग करने हेतु प्रकरण क्रमांक एल00-01/2022 में निर्देशित किया गया था।

02. आवेदक अपनी लिखित अपील में निम्नलिखित निवेदन करता है :-

1. अनावेदक ने माह जुलाई 2018 से माह सितम्बर 2019 तक की अवधि में बढ़ी हुई एम.डी. के आधार पर आवेदक के विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-15-703480 पर 2,02,730/- ₹00 की मांग की गई थी। इस संबंध में आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम,

इन्दौर के समक्ष शिकायत प्रकरण क्र. 4612/2020 के माध्यम से चुनौती देते हुए शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 09.09.2020 को इन्दौर फोरम द्वारा आदेश पारित किया जाकर आवेदक की उक्त शिकायत को निरस्त किया गया था ।

2. आवेदक के द्वारा उक्त राशि की 50 प्रतिशत रूप से भुगतान किया जाकर माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो पंजीबद्ध होकर अपील क्र. 01/2022 कहलाई ।

3. माननीय लोकपाल महोदय ने उपरोक्त अपील का निराकरण किया जाकर दिनांक 31.03.2022 को इस प्रकार आदेश पारित किया गया है :-

“अतः प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी, बुरहानपुर उपरोक्त रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें । अतः प्रकरण निर्णित कर समाप्त किया जाता है ।”

4. अनावेदक आप श्रीमान के उक्त आदेश के बाद उक्त कथित बकाया राशि की सरचार्ज राशि आवेदक से उसके मासिक बिलों में सरचार्ज राशि के नाम से जोड़कर वसूल कर रहा है ।

5. अनावेदक ने माननीय लोकपाल महोदय के आदेश को किसी वरिष्ठ न्यायालय से निरस्त नहीं कराया है, ना ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट पिटीशन में माननीय विद्युत लोकपाल महोदय के आदेश को निरस्त कराया है ।

6. अनावेदक ने आवेदक से उक्त आदेश के बाद पिछले छः माहों में प्रतिमाह 1900 की राशि वसूल की है, जो आवेदक को ब्याज सहित वापस दिलाई जावे ।

7. आप श्रीमान ने उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उक्त पिटीशन के निराकृत होने पर उक्त आदेश के मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित करें, तब आप श्रीमान के आदेश के बाद से आवेदक से सरचार्ज के रूप में वसूल की गई राशि आवेदक को लौटाई जावे और अनावेदक को आवश्यक रूप से माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निराकरण तक तथाकथित बकाया राशि को आवेदक के बिल में ना जोड़ने, ना ही सरचार्ज राशि जोड़ने, ऐसा अनावेदक को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें । तदानुसार प्रार्थना है ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00-20/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 15.12.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 15.12.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित हुए ।

अनावेदक श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर द्वारा प्रकरण से संबंधित जवाब प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया तथा एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी । जवाब निम्नानुसार है :-

प्रतिउत्तर जबाब – प्रतिअपीलार्थी की ओर से

माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष अपीलार्थी श्री मोहम्मद अख्तर पिता श्री मोहम्मद यूसूफ के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से माननीय विद्युत उपभोक्ता फोरम, इंदौर के समक्ष दर्ज प्रकरण क्रं. प्रकरण क्रं. 4612/2020, पारित आदेश दिनांक 09/09/2020 के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

माननीय विद्युत लोकपाल भोपाल के समक्ष उक्त अपील अभ्यावेदन की सुनवाई दिनांक 30/03/2022 को प्रतिअपीलार्थी कम्पनी की ओर से कांडिका बार प्रतिउत्तर एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रकरण में उभय-पक्षों के द्वारा रखे गये तर्क कथन एवं तथ्यों आदि के आधार पर सुनवाई के उपरांत माननीय विद्युत लोकपाल के द्वारा दिनांक 31/03/2022 को आदेश पारित किया गया है कि, उक्त अपील अभ्यावेदन के समान प्रकृति के प्रकरणों में विद्युत लोकपाल म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रं. एल00-06/2020, एल00-07/2020, एल00-08/2020, एल00-09/2020, एल00-10/2020, एल00-11/2020 एवं एल00-12/2020 में दिये गये निर्णय के विरुद्ध पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क्रं. डल्लयू.पी. 6047/22, डल्लयू.पी. 6049/22, डल्लयू.पी. 6050/22, डल्लयू.पी. 6056/22, डल्लयू.पी. 6133/22, डल्लयू.पी. 6134/22 एवं डल्लयू.पी. 6135/22 प्रस्तुत की गई हैं, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित हैं, अतः उक्त प्रकरण का निर्णय किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि, कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं. लि., बुरहानपुर उपरोक्त रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतः प्रकरण निर्णित कर समाप्त किया जाता है।

उक्त पारित आदेश के पश्चात आवेदक के द्वारा पुनः माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष दिनांक 15/10/2022 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के उक्त अभ्यावेदन संक्षिप्त विषय में लेख किया गया कि, "आवेदक से मात्र नियमित बिल राशि बिना अधिभार एवं सरचार्ज के जारी किये जाने के अनावेदक को आवश्यक दिशा-निर्देश देने एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के यहां प्रस्तुत रिट पिटीशन के अंतिम निराकरण तक शेष राशि की मांग को स्थागित रखने बाबत " ।

आवेदक के अभ्यावेदन दिनांक 15/10/2022 के अनुसार कंडिका बार प्रतिउत्तर इस प्रकार हैं—

1. यह कि, अपीलार्थी के कंडिका क्रं. 01 में यह कथन सही है कि, अपीलार्थी के विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 72-15-703480/एन3957020646 पर माह जुलाई-2018, सितम्बर-2018, अक्टूबर-2018, नवम्बर-2018, दिसम्बर-2018, जनवरी 2019, फरवरी-2019, मार्च-2019, अप्रैल-2019 मई-2019, जून-2019, जुलाई -2019, अगस्त-2019 एवं सितम्बर-2019 में स्वीकृत/संविदा भार 18 एचपी. से अधिकतम मांग (एम.डी.) क्रमशः 15.60, 15.80, 17, 19, 18, 18, 17, 17, 18, 16, 16.90, 17, 17.80 एवं 15.70 किलोवाट दर्शित होने से टैरिफ आदेश एल.व्ही.-4.1ए (टर्म्स) के तहत सामान्य दर 30 प्रतिशत (ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार) में प्रदान की गई छूट की अतिरिक्त बिलिंग/ऑडिट (अंतर राशि) 202730/- रुपये निकाली गई और सूचना पत्र जारी करते हुए आवेदक से मांग की गई। आवेदक ने उक्त मांग की जा रही राशि 202730/- के संबंध में माननीय फोरम, इंदौर के समक्ष प्रकरण क्रं. 4612/2020 दर्ज कराया गया। माननीय फोरम के द्वारा उक्त प्रकरण क्रं. 4612/2020 में दिनांक 09/09/2020 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के परिवाद को अस्वीकार किया गया है। आवेदक ने माननीय फोरम के समक्ष दर्ज प्रकरण 4612/2020, पारित आदेश दिनांक 09/09/2020 को चुनौती देते हुए लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। किन्तु माननीय विद्युत लोकपाल के द्वारा उक्त अपील में माननीय फोरम के पारित आदेश दिनांक 09/09/2020 को निरस्त नहीं किया गया है। माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष दर्ज उक्त अपील के पारित आदेश दिनांक 31/03/2022 में आदेशित किया गया है, कि समान प्रकृति के रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, अतः प्रकरण में सुनवाई कर निर्णित किया जाना उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतः प्रकरण निर्णित होकर समाप्त किया जाता है। माननीय विद्युत लोकपाल के निर्णय के अनुसार उक्त प्रकरण में अनावेदक कम्पनी के द्वारा यथास्थिति बनायी रखी गई है।
2. आवेदक की कंडिका क्रं. 02 स्वीकार है।
3. आवेदक की कंडिका क्रं. 03 के प्रतिउत्तर देने की आवश्यकता है, उक्त संबंध में ऊपर की कंडिका क्रं. 01 में लेख किया गया है।
4. यह कि, आवेदक की कंडिका क्रं. 04 अस्वीकार है। अनावेदक कम्पनी के द्वारा आवेदक के उक्त विद्युत संयोग पर मासिक विद्युत बिलों में कथित बकाया राशि को नहीं जोड़ा

गया हैं और न ही कथित बकाया राशि पर सरचार्ज राशि जोड़कर वसूल किया जा रहा हैं।

5. यह कि, अनावेदक कम्पनी के द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल के द्वारा उक्त अपील के पारित आदेश दिनांक 31/03/2022 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. आवेदक की कांडिका क्रं. 6 एवं 7 अस्वीकार हैं।
7. अनावेदक कम्पनी के द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल के उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 31/03/2022 अनुसार यथास्थिति बनाये रखा गया हैं। आवेदक के बिल में न कोई तथाकथित बकाया राशि एवं सरचार्ज राशि जोड़ी गई है, न ही आवेदक से सरचार्ज के रूप में कोई भी राशि वसूल की गई हैं।

अतः माननीय महोदय के समक्ष आवेदक के अपील अभ्यावेदन दिनांक 15/10/2022 का प्रतिउत्तर सादर प्रेषित हैं।

प्रतिअपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त कथन

माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24/11/2022 को अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा मौखिक रूप से अतिरिक्त कथन रखे गये। उक्त सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के द्वारा रखे गये तर्क कथन का मौखिक रूप से जबाव दिया गया। उक्त संबंध में स्पष्टीकरण जबाव एवं दस्तावेज इस प्रकार हैं।

अपीलार्थी के द्वारा माननीय विद्युत लोकपाल, भोपाल के समक्ष मौखिक रूप से यह कथन किया गया कि, प्रतिअपीलार्थी की ओर से नियमित बिल में बकाया राशि के साथ सरचार्ज राशि जोड़ कर जारी की जा रही हैं। उक्त राशि को नियमित बिल में से हटाया जाय एवं सरचार्ज के रूप में वसूल की गई राशि को लौटाया जाय।

1. यह कि, अपीलार्थी के द्वारा माननीय फोरम, इंदौर के समक्ष विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 72-15-703480/3957020646, औद्योगिक श्रेणी पर अनुबंधित संविदा मांग से अधिक एम.डी. दर्ज पाये जाने पर की गई अतिरिक्त बिलिंग राशि 2,02730/- की मांग किये जाने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण क्रं. 4612/2020 पंजीबद्ध होकर दिनांक 09/09/2020 को आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश में अपीलार्थी के आवेदन अस्वीकार किया गया।

2. यह कि, अपीलार्थी के द्वारा सिर्फ विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 72-15-703480/3957020646 की गई अतिरिक्त बिलिंग राशि 2,02730/- की मांग किये जाने के संबंध में माननीय फोरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। उक्त विद्युत संयोग के विद्युत बिल की

बकाया राशि एवं सरचार्ज राशि के संबंध में कोई भी प्रकरण माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3. अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 72-15-703480/ 3957020646 में अनुबंधित स्वीकृत/संविदा भार 18 एच.पी. (औद्योगिक श्रेणी) से अधिक अधिकतम मांग (एम.डी.) लगातार दर्ज पाये जाने पर सूचना पत्र प्रेषित करने के पश्चात आवेदक के द्वारा आपेक्षित कार्यवाही न कराये जाने पर माह जुलाई 2020 में विद्युत संयोग की भार वृद्धि 18 से 23 एच.पी. (सूचना पत्र में दर्शित अधिकतम मांग के अनुसार) की गई है। अवलोकन हेतु सूचना पत्र **डी1** की छायाप्रति संलग्न है।

4. यह कि, अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर भार वृद्धि किये जाने के पश्चात माह जुलाई 2020 से माह सितम्बर 2020 तक स्वीकृत भार 23 एच.पी. दर्शित होने से आवेदक के द्वारा संबंधित ज्ञोन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया कि, भविष्य में एम.डी., सी.डी.अधिक नहीं आने का उल्लेख किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर माह अक्टूबर 2020 में भार कमी करते 23 से एच.पी. हुए 20 एच.पी. कर दिया गया। अवलोकन हेतु उक्त विद्युत संयोग पर की गई भार वृद्धि एवं कमी के संबंध में विद्युत देयक माह जून 2020 **डी2**, जुलाई 2020 **डी3**, सितम्बर 2020 **डी4**, एवं अक्टूबर 2020 **डी5** की छायाप्रति संलग्न है।

5. अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर माह जुलाई 2020 में भार वृद्धि 23 एच.पी. किये जाने के पश्चात माह जूलाई 2020, अगस्त 2020 एवं सितम्बर 2020 में अधिकतम मांग क्रमशः 13.80 कि.वा., 14.20 कि.वा एवं 13.50 कि.वा. दर्ज की गई। उक्त 03 माहों में दर्ज अधिकतम मांग स्वीकृत भार से कम या अनुरूप होने के कारण उक्त माह के विद्युत देयकों को पुनरीक्षित करते हुए माह अक्टूबर 2020 में राशि 31221/- का सामायोजन किया गया। अवलोकन हेतु बिल पुनरीक्षित रजिस्टर **डी6** एवं एनजीबी. पोर्टल पर किये गये समायोजन पृष्ठ **डी7** की छायाप्रति संलग्न है।

4. अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग पर माह अक्टूबर 2020 में राशि 31221/- का समायोजन दिये जाने के पश्चात कुल विद्युत देयक राशि 88468/- जारी किया गया। जो कि नियमानुसार सही होकर पूर्ण भुगतान किये जाने योग्य हैं। किन्तु अपीलार्थी के द्वारा माह अक्टूबर 2020 में जारी देयक राशि 88468/- में किस्त स्वरूप राशि 20,000/- का भुगतान किया गया। माह अक्टूबर 2020 की स्थिति में बिल की किस्त राशि 20,000/- भुगतान किये जाने के पश्चात उक्त विद्युत संयोग पर बकाया राशि 68468/- एवं सरचार्ज राशि 1106/- बाकी थी। इसके पश्चात अपीलार्थी के द्वारा उक्त बकाया राशि, सरचार्ज एवं नियमित माह के विद्युत देयकों का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वर्तमान माह दिसम्बर 2022 की स्थिति विद्युत बिल में कुल बकाया राशि 111993/- दर्शित हो रही है,

जो कि भुगतान किये जाने योग्य हैं। अवलोकन हेतु उपभोक्ता पास-बुक की छायाप्रति डी8 एवं माह दिसम्बर 2022 के विद्युत देयक की छायाप्रति डी9 संलग्न हैं।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि, उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर अपीलार्थी को उक्त विद्युत संयोग में दर्शित बकाया राशि का पूर्ण रूप से भुगतान करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करेंगे।

सुनवाई के दौरान उभयपक्षों द्वारा निम्नानुसार कथन किए गए :-

1. सुनवाई के दौरान आवेदक ने कहा कि बिल में अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है, जिसे हटाना एवं सरचार्ज लगाना बंद करना चाहिए ।
2. अनावेदक ने बताया के आवेदक को एम.डी. बढ़ाने पर अतिरिक्त बिल राशि दो लाख दो हजार सात सौ तीस रु. का जारी किया था, जिसे चालू बिल में नहीं जोड़ा गया है । जारी किया गया बिल टैरिफ अनुसार है जिसका समय पर पूर्ण भुगतान नहीं करने के कारण प्रतिमाह सरचार्ज जुड़ रहा है ।
3. आवेदक ने अपील करने के पूर्व 50 प्रतिशत राशि रु0 101000/- (एक लाख एक हजार रु0 मात्र) तीन किस्तों में किया है ।
4. आवेदक ने कहा बची हुई 50 प्रतिशत राशि बिल में जोड़ी गई है ।
5. अनावेदक ने कहा की कोई भी सप्लीमेंट्री बिल की बची हुई 50 प्रतिशत राशि चालू बिलों में नहीं जोड़ी गई है ।
6. चालू माहों के बिल समय पर पूर्ण भुगतान न करने के कारण सरचार्ज जुड़ रहा है ।
7. आवेदक से कहा कि वह बिल दिखाए जिसमें सप्लीमेंट्री बिल की राशि जोड़ी गई हो, किन्तु आवेदक ऐसा कोई बिल दिखाने में असमर्थ रहा ।
08. पिछले 2 साल के बिलिंग विवरण को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कहीं भी अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी गई है । साथ ही आवेदक प्रतिमाह पूर्ण बिल राशि का भुगतान नहीं कर रहा है ।
09. अनावेदक ने कहा कि आवेदक का भार बढ़ाने के कारण 30 प्रतिशत टैरिफ सब्सिडी माह जुलाई 2020 से सितम्बर 2020 तक नहीं मिली थी यह राशि बिल माह अक्टूबर 2020 में रु. 31,221/- समायोजित कर दी गयी है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा जवाब का उत्तर देने हेतु समय की मांग की गई । आवेदक अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 29.12.2022 नियत की गई ।

❖ सुनवाई दिनांक 29.12.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित।

दिनांक 15.12.2022 की सुनवाई में आवेदक को निर्देशित किया गया था कि उसके अपील अनुसार जैसा कि उनके द्वारा लेख किया है कि उनके बिलों में भार/अधिकतम मांग में बिना स्वीकृति के उपयोग करने के कारण अतिरिक्त बिलिंग की राशि बिलों में जोड़ी गई है। आवेदक को यह निर्देशित गया था कि वह बिल प्रस्तुत करें जिसमें अतिरिक्त राशि जोड़ी गई हो।

आवेदक के कथन :-

आवेदक ऐसा कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें अतिरिक्त राशि जोड़ी गई हो। आवेदक ने कहा कि उसके बिल में प्रतिमाह सरचार्ज की राशि जोड़ी जा रही है एवं बकाया राशि भी दर्शाई जा रही है।

अनावेदक के कथन :-

आवेदक के बिल में कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी गई।

अनावेदक ने कहा कि आवेदक मासिक बिल का पूर्ण भुगतान समय पर लंबी अवधि से नहीं कर रहा है, जिसके कारण बकाया राशि बढ़ती जा रही है एवं टैरिफ के प्रावधान अनुसार सरचार्ज की राशि प्रत्येक माह बिल की जा रही है जो कि नियमानुसार सही है।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

04. उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना के निर्विवादित तथ्य निम्नानुसार हैं:-

1. आवेदक को औद्योगिक कनेक्शन स्वीकृत भार 18 एच.पी. हेतु प्रदाय किया गया था, जिसका अवैधानिक रूप से भार बढ़ाकर उपयोग कर रहा था।
2. अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक आने के कारण अनावेदक ने भार बढ़ाकर 23 एच.पी. कर दिया था।
3. आवेदन के साथ औपचारिकताएं पूर्ण करने पर भार कम कर 20 एच.पी. अक्टूबर 2020 में कर दिया था।

4. अनावेदक ने आवेदक के बिल में भार वृद्धि के कारण अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी है ।
 5. आवेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा कि उसके किसी भी मासिक बिल में अतिरिक्त बिल की राशि जोड़ी है ।
 6. आवेदक ने यह लेख किया है कि उसके बिल में अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है जिसके कारण प्रत्येक माह सरचार्ज लग रहा है ।
 7. अनावेदक ने बिलिंग स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि उसने मासिक बिल में अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी है ।
- 05.** उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों की स्थापित विधि एवं नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :-
- i) आवेदक ने विद्युत कनेक्शन 18 एच.पी. भार हेतु औद्योगिक श्रेणी में प्राप्त किया था ।
 - ii) आवेदक बिना अनुमति एवं स्वीकृति के अधिक भार उपयोग कर रहा था ।
 - iii) आवेदक का भार माह जुलाई – 2020 में 18 एच.पी. से बढ़ाकर 23 एच.पी. कर दिया था जिससे उसे 30 प्रतिशत के टैरिफ छूट नहीं मिल रही थी ।
 - iv) आवेदक द्वारा सितम्बर 2020 में आवेदन कर औपचारिकताएं पूर्ण करने माह अक्टूबर 2020 से भार 20 एच.पी. कर दिया था तथा जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में अधिकतम मांग 20 एच.पी. से कम होने के कारण 30 प्रतिशत टैरिफ छूट की राशि रू0 31221/- बिल में समायोजित कर दी गई थी ।
 - v) आवेदक ने यह लेख किया है कि उसके बिल में राशि जोड़ी गई है, जिसके कारण सरचार्ज लग रहा है ।
 - vi) अनावेदक ने बिलिंग स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि उसने मासिक बिल में अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी है ।
 - vii) बिलिंग स्टेटमेंट में किसी भी माह में अतिरिक्त राशि जोड़ा जाना नहीं पाया ।
 - viii) आवेदक कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें अतिरिक्त बिल की राशि जोड़ी गई हो ।

- ix) बिलिंग स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि आवेदक मासिक बिल का पूर्ण भुगतान लंबे समय से नहीं कर रहा है जिसके कारण बकाया राशि बिल में प्रदर्शित हो रही है एवं टैरिफ में प्रावधान अनुसार सरचार्ज लगाया जा रहा है ।
06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :-
- i) औद्योगिक निम्न दाब कनेक्शन में अनाधिकृत भार वृद्धि (20 एच.पी. से अधिक) के कारण टैरिफ में 15 के.डब्ल्यू./20 एच.पी. तक भार वाले उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत की टैरिफ छूट न देने एवं अतिरिक्त पेनल बिलिंग करने से संबंधित कई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है, अतः इस संबंध में निर्णय दिया जाना उचित नहीं है । माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर इस प्रकरण में उसका पालन अनावेदक द्वारा किया जावे ।
- ii) उक्त को छोड़कर आवेदक की अपील निरस्त की जाती है ।
- iii) आवेदक के बिल में कोई भी अतिरिक्त बिल की राशि नहीं जोड़ी गई है, केवल भार के अनुसार बिल प्रतिमाह जारी किए जा रहे हैं ।
- iv) आवेदक के बिल में जोड़ा जा रहा सरचार्ज, प्रतिमाह पूर्ण मासिक बिल नहीं जमा करने के कारण बकाया राशि पर टैरिफ अनुसार लगाया जा रहा है, जो कि नियमानुसार सही है ।
- v) आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह बकाया चालू बिल का शीघ्र भुगतान करें ।
07. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।
08. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और साथ ही आदेश की निशुल्क प्रति फोरम को भी प्रेषित हो ।

विद्युत लोकपाल

